संख्या-10/2022/I/179498/001-38-2002-002-5-2022

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 20 जून, 2022**

विषय:-दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ तथा उसके नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय/ जिला ग्राम्य विकास संस्थानों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष 08 माह की अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-160 /1/प्रशि0/बजट आवंटन(4)/2022-23, दिनांक 16 जून 2022 व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2023/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-7/2022/159263/001-38-2002-002-5-2022, दिनांक 26-04-2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत प्राविधानित व्यवस्था के सापेक्ष लेखानुदान के माध्यम से प्रथम चार माह की वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत की गयी थी। उक्त शासनादेश दिनांक 26-04-2022 के क्रम में लेखानुदान अवधि के लिये जारी वित्तीय स्वीकृतियों को घटाते हुए अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों से सम्बन्धित होने वाले व्यय को वहन करने हेतु निम्नांकित विवरण के अनुसार कुल धनराशि रू0 5731.98 लाख (रूपये सत्तावन करोड इक्कतीस लाख अट्ठानवें हजार मात्र) को आपके निवर्तन पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में उल्लिखित निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर ही किया जायेगा।

(3) उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम,102-सामुदायिक विकास-04-दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ तथा लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-003-प्रशिक्षण-03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य- विकास संस्थानों) के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2515000030300 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	01 वेतन	34,46,67,000 (रुपये चौंतीस करोड़ छियालीस लाख सड़सठ हजार मात्र)
2	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	02 मजदूरी	16,67,000 (रुपये सोलह लाख सड़सठ हजार मात्र)
3	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	03 मंहगाई भत्ता	12,75,27,000 (रुपये बारह करोड़ पचहत्तर लाख सत्ताईस हजार मात्र)
4	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	04 यात्रा व्यय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
5	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,34,000 (रुपये एक लाख चौंतीस हजार मात्र)
6	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	06 अन्य भत्ते	13,34,000 (रुपये तेरह लाख चौंतीस हजार मात्र)
7	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	08 कार्यालय व्यय	6,67,000 (रुपये छह लाख सड़सठ हजार मात्र)
8	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	09 विद्युत देय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
9	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	10 जलकर / जल प्रभार	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
10	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)
11	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,34,000 (रुपये एक लाख चौंतीस हजार मात्र)
12	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	13 टेलीफोन पर व्यय	6,67,000 (रुपये छह लाख सड़सठ हजार मात्र)
13	013	2515000030300	15	4,67,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	(रुपये चार लाख सड़सठ हजार मात्र)
14	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3,34,000 (रुपये तीन लाख चौंतीस हजार मात्र)
15	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	3,34,000 (रुपये तीन लाख चौंतीस हजार मात्र)
16	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	6,67,000 (रुपये छह लाख सड़सठ हजार मात्र)
17	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	29 अनुरक्षण	1,34,000 (रुपये एक लाख चौंतीस हजार मात्र)
18	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	42 अन्य व्यय	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
19	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	34,000 (रुपये चौंतीस हजार मात्र)
20	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)
21	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	45 अवकाश यात्रा व्यय	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)
22	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
23	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
24	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	49 चिकित्सा व्यय	26,67,000 (रुपये छब्बीस लाख सड़सठ हजार मात्र)
25	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	51 वर्दी व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
26	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	55 मकान किराया भत्ता	86,67,000 (रुपये छियासी लाख सड़सठ हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

27	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
	कुल			**49,72,03,000** **(रुपये उनचास करोड़ बहत्तर लाख तीन हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2515001020400 (दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	01 वेतन	4,60,00,000 (रुपये चार करोड़ साठ लाख मात्र)
2	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	02 मजदूरी	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
3	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	03 मंहगाई भत्ता	1,70,20,000 (रुपये एक करोड़ सत्तर लाख बीस हजार मात्र)
4	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	04 यात्रा व्यय	1,34,000 (रुपये एक लाख चौंतीस हजार मात्र)
5	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	34,000 (रुपये चौंतीस हजार मात्र)
6	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	06 अन्य भत्ते	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
7	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	08 कार्यालय व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
8	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	09 विद्युत देय	43,34,000 (रुपये तैंतालीस लाख चौंतीस हजार मात्र)
9	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	34,000 (रुपये चौंतीस हजार मात्र)
10	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	13 टेलीफोन पर व्यय	1,34,000 (रुपये एक लाख चौंतीस हजार मात्र)
12	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4,67,000 (रुपये चार लाख सड़सठ हजार मात्र)
13	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,34,000 (रुपये एक लाख चौंतीस हजार मात्र)
14	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	18 प्रकाशन	34,000 (रुपये चौंतीस हजार मात्र)
15	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
16	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	29 अनुरक्षण	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
17	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	42 अन्य व्यय	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)
18	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,34,000 (रुपये एक लाख चौंतीस हजार मात्र)
19	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	45 अवकाश यात्रा व्यय	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)
20	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3,34,000 (रुपये तीन लाख चौंतीस हजार मात्र)
21	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
22	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	49 चिकित्सा व्यय	6,67,000 (रुपये छह लाख सड़सठ हजार मात्र)
23	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	51 वर्दी व्यय	34,000 (रुपये चौंतीस हजार मात्र)
24	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं	55 मकान किराया भत्ता	36,67,000 (रुपये छत्तीस लाख सड़सठ हजार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ		मात्र)
25	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
	कुल			**7,59,95,000** **(रुपये सात करोड़ उनसठ लाख पंचानबे हजार मात्र)**

महायोग	57,31,98,000 (रुपये सत्तावन करोड़ इकतीस लाख अट्ठानबे हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4 - यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रमेश चन्द्र मिश्र,
उप सचिव।

संख्या-10 /2022/ ।/179498 /001-38-2002-002-5-2002, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- श्री लाल धीरेन्द्र राव, संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य् विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थारन, बक्शी का तालाब , लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/2
7- ग्राम्य विकास अनु0-3
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।